

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक - 16/07/2025

सं० सं० - 15/FSC/67/2024 - 224(15)/स्वा० - भारत का संविधान के अनुच्छेद -- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन, खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य विश्लेषक संवर्ग) में नियुक्ति एवं अन्य सेवा-शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। -

- (1) यह नियमावली " बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य विश्लेषक संवर्ग) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र (गजट) में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। - जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

- (i) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य,
- (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (iii) "विभाग" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग,
- (iv) "खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य संरक्षा आयुक्त का कार्यालय,
- (v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
- (vi) "अधिनियम" से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम 34, 2006) [समय-समय पर यथा-संशोधित];
- (vii) "नियमावली" से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 एवं (समय-समय पर यथा संशोधित);
- (viii) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार खाद्य संरक्षा सेवा;
- (ix) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के अंतर्गत खाद्य विश्लेषक संवर्ग,
- (x) "केन्द्रीय परीक्षा समिति" से अभिप्रेत है राजस्व पर्वट, बिहार के अधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति;
- (xi) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार।



2

1ली अगस्त को, उस निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।
(3) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, निर्धारित की जाय। विज्ञापन वर्ष की (2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता परशिप्ट-01 के अनुसार होगी।
अनुशंसा से की जायेगी।

4. भर्ती। - (1) इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा, आयोग की पर स्वरत: सम्मिलित समझी जायेगी।

(3) नियत लिख के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत/कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग के समकक्ष पद होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं स्वीकृत किया जाय।
(2) उक्त संवर्ग की सभी कोटि के पदों का स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही

क्रमांक	पदनाम	कोटि
1	2	3
1.	खाद्य विरलेषक (राजपञ्चित)	मूल कोटि
2.	वरीय खाद्य विरलेषक (राजपञ्चित)	प्रथम पद सोपान
3.	उप निदेशक, प्रयोगशाला (राजपञ्चित)	द्वितीय पद सोपान

3. संवर्ग की संरचना। - (1) बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के अंतर्गत खाद्य विरलेषक संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगी। संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी -

(XV) "नियत लिख" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि।
(XIV) "परशिप्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परशिप्ट।
के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्तर का कोई पदाधिकारी।
के उप नियम-2.1.1 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकार
(XIII) "राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-30 एवं नियमावली
(XII) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त,

5. **भर्ती की प्रक्रिया।** – (1) नियंत्री प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।
(2) अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर नियमानुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगा तथा आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएगा।
(3) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पत्र एवं पाठ्यक्रम/विषय वही होंगे, जैसा आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाय।
(4) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।
(5) नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त समर्पित करना अनिवार्य होगा कि उनका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित शामिल नहीं है।
6. **परिवीक्षा अवधि।** – नियुक्ति के उपरान्त सभी खाद्य विश्लेषक एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक और वर्ष के लिए किया जायेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, सेवामुक्त किया जा सकेगा।
7. **प्रशिक्षण।** – (1) परिवीक्षा अवधि के अधीन खाद्य विश्लेषक को बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(2) राज्य सरकार/राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त/भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
8. **विभागीय परीक्षा।** – खाद्य विश्लेषक को केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद, बिहार) द्वारा आयोजित विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा विभाग के परामर्श से, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन से, किया जायेगा।
9. **संपुष्टि।** – परीक्ष्यमान अवधि में संतोषजनक सेवा होने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त होने के पश्चात् खाद्य विश्लेषक को सेवा में संपुष्टि किया जा सकेगा।
10. **वरीयता।** – संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त/कार्यरत पदाधिकारियों की आपसी वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश/परिपत्र के अनुसार किया जायेगा।



11. **प्रोन्नति।** – (1) सेवा में संपुष्ट खाद्य विश्लेषक को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता-सह-योग्यता के अनुसार प्रोन्नति के पद सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- (2) प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।
- (3) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत, प्रोन्नति संबंधी और चारित्र्य या पी०ए०आर० संबंधी आरोप विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- (4) प्रोन्नतियाँ, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, सेवा विभागों के लिए निर्धारित किया जाय।
12. **आरक्षण।** – राज्य सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
13. **अवशिष्ट मामलें।** – इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उसके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/अधिसूचना/संकल्प/अनुदेश/परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे।
14. **निर्वचन।** – यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संशय उत्पन्न हो तो विभाग द्वारा, विधि विभाग/सामान्य प्रशासन के परामर्श से, किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
15. **कठिनाई का निराकरण।** – यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगा।
16. **निरसन एवं व्यावृत्ति :-** (1) इस संवर्ग नियमावली के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व से अधिसूचित बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 एवं समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली, 2019 एवं 2021, संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।



(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, वैसी नियमावली, संकल्प, अनुदेश, अधिसूचना, आदेश, आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 15/FSC/67/2024 -४२५(15)...

पटना, दिनांक - 16/07/2025

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 15/FSC/67/2024 -४२५(15)...

पटना, दिनांक - 16/07/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 15/FSC/67/2024 -४२५(15)...

पटना, दिनांक - 16/07/2025

प्रतिलिपि :- अवर सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय को सदन के पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक – 15/FSC/67/2024 -१२५.(15.) पटना, दिनांक – 16/07/2025

प्रतिलिपि :- अवर सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद, सचिवालय को सदन के पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
15/7/25

ज्ञापांक – 15/FSC/67/2024 -१२५.(15.) पटना, दिनांक – 16/07/2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/ संसदीय कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
15/7/25

2/15/2025

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोत्तलि द्वारा	अर्हता
1	2	3	4	5
1.	मूल कोटि	खाद्य विश्लेषक (राजपत्रित)	सीधी भर्ती द्वारा	(1) विभिन्न द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या संसृज्जीव विज्ञान या जेयरी रसायन विज्ञान या जैव कृषि विज्ञान या पशु विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण या जेयरी प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या पशु विज्ञान में स्नातक या मास्टर या डाक्टरेट डिग्री रखता हो या ऐसे प्रयोजनों के लिए कदीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो तथा जिससे खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो , (2) खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक के परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।
2.	प्रथम पद	वरीय खाद्य विश्लेषक (राजपत्रित)	प्रोत्तलि द्वारा	
3.	द्वितीय पद	उप निदेशक (प्रयोजनात्मक) (राजपत्रित)	प्रोत्तलि द्वारा	

खाद्य विश्लेषक संवर्ग के पद सोपान एवं शैक्षणिक अर्हताएँ, आदि ।

[देखे नियम 2(xiii), 3, 4, 11]

परिशिष्ट-1